न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 83/2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

1. मीणा देवी वो 2. सविता कुमारी – विक्रेता

उर्सुला धान – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16.12.19	(see below)	

आदेश

आवेदिका 1. मीणा देवी पति स्व0 बैजनाथ मुण्डा वो 2. सविता कुमारी पिता स्व0 बैजनाथ मुण्डा दोनों ग्राम–पिपराटोली खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने उर्सुला धान पति अजीत धान ग्राम–भण्डरा, पोस्ट–भण्डरा, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
डहुगुटू	89	35	42	0.08

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0921736458 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1132 दिनांक 12.12.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं0– 1055/1043 दिनांक 29.11.2008 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम पाहन मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार मीना देवी वगैरह के नाम भूमि का रकवा 0.35 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 0.35 एकड़ भूमि एवं अन्य मौजा डहुगुटू खाता सं0 50 रकबा 2.51 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.86 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 62654.00 (बारसठ हजार छः सौ चौवन)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.78 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. मीणा देवी पति स्व0 बैजनाथ मुण्डा वो 2. सविता कुमारी पिता स्व0 बैजनाथ मुण्डा को उर्सुला धान पति अजीत धान के साथ ग्राम डहुगुटू के खाता सं0 35 खेसरा संख्या 42 कुल रकबा 0.08 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 62654.00 (बारसठ हजार छः सौ चौवन)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

16/12/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

16/12/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।